Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, APRIL-MAY, 2022, VOL-10/51

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा की उपादेयता

डॉ. अखिलेश कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग राठ महाविद्यालय पैठाणी, पौढ़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

Paper Received On: 25 MAY 2022
Peer Reviewed On: 31 MAY 2022
Published On: 1 JUNE 2022

Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेती है। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नीति जारी होने के तुरंत बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। एनईपी में भाषा नीति प्रकृति में एक व्यापक दिशानिर्देश और सलाह है और कार्यान्वयन पर निर्णय लेना राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

मुख्य बिंदु- लैंगिक समानता, समावेशी शिक्षा, एनईपी और भारत ।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

प्रस्तावना-

भारत में हाल के वर्षों में शिक्षा में विशेष रूप से शिक्षा के बुनियादी ढांचे और छात्रों के नामांकन के संबंध में स्पष्ट सुधार देखा गया है। विशेष रूप से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में नामांकन बढ़ाने में सफलतापूर्वक कामयाब रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 2009-2016 के बीच उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वच्छता और सुरक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन ने भी देश में इस नामांकन को बनाए रखने में मदद की है। जनगणना 2011 में महिलाओं की साक्षरता 65.5% दर्ज की गई, मुसलमानों के लिए यह बढ़कर 68.5 प्रतिशत हो गई और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए यह लगभग 66 प्रतिशत हो गई। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद, भारतीय शिक्षा प्रणालियाँ असमानता और बहिष्कार की चुनौतियों से जूझ रही हैं। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच अभी भी अधिकांश ग्रामीण आबादी और कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए एक सपना है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में यह और भी गंभीर है।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी), 2020 आज देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली बढ़ती असमानता और असमानता को संबोधित करने का प्रयास करती है। अन्य बातों के अलावा, एनईपी 2020 सामाजिक-आर्थिक स्तर और कमजोर अल्पसंख्यकों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर को पहचानता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन बाधाओं की पहचान की गई है जो अकुशल संसाधन आवंटन का कारण बनती हैं जैसे छोटे स्कूल परिसर और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की कम भागीदारी का

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

कारण। यह भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की अधूरी शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पहचानता है। विश्लेषण अंश समावेशी शिक्षा पर प्रमुख सिफारिशों का त्वरित दौरा करता है और कुछ प्रमुख चुनौतियों को दर्ज करता है जिनका एनईपी को सामना करना होगा।

एनईपी 2020 की मुख्य बातें-

- नई नीति का लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है।
- एनईपी 2020 2 करोड़ लाएगा। स्कूल छोड़ने वाले बच्चे मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुख्यधारा में वापस आएंगे।
- वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3-8, 811, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- यह अब तक अछूते रहे 3-6 वर्ष के आयु वर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाएगा, जिसे विश्व स्तर पर एक बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।
- नई प्रणाली में 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ तीन साल की आंगनवाड़ी/प्री-स्कूलिंग होगी।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर, व्यावसायिक धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं; व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से शुरू होगी। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।
- 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ मूल्यांकन सुधार, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नज़र रखना
- शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, एनसीएफटीई 2021, एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई द्वारा तैयार किया जाएगा।
- 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा । उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी।
- नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और उचित प्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्टियों और निकास बिंदुओं के साथ व्यापक-आधारित, बहु-विषयक, समग्र स्नातक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

- क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी
- आईआईटी, आईआईएम के बराबर बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) को देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक एकल व्यापक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। एचईसीआई के चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होंगे - विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी), मानक-निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी), और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित होंगे।
- कॉलेजों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरण-वार तंत्र स्थापित किया जाना है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

- समय के साथ, यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज के रूप में विकसित होगा।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी)-

एनईपी 2020 मानता है कि मौजूदा शैक्षिक प्रणालियों में कुछ समूहों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। विशेष रूप से उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, एनईपी ने एसईडीजी नामक एक नया सामाजिक समूह बनाने के लिए लिंग पहचान, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान, विकलांगता और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को जोड़ दिया है। यह नीति अपने अधिकांश उद्देश्यों को इन समूहों के आसपास समावेशिता बनाने पर आधारित करती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन समूहों में कई कारणों से स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, जिनमें आदिवासी समुदायों (भौगोलिक) के लिए पहुंच की कमी से लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वर्गीकरण के लिए शिक्षा प्रणालियों से समुदायों के ऐतिहासिक बहिष्कार तक शामिल हैं। उनकी विशेष जरूरतों को पहचानते हुए, एनईपी 2020 लक्षित छात्रवृत्ति, माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करने जैसी नीतियों और योजनाओं की एक श्रृंखला की सिफारिश करता है जो अतीत में नामांकन बढ़ाने और अधिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए काम कर चुके हैं।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

हालाँकि, इस व्यापक वर्गीकरण में कई चुनौतियाँ हैं। यह समस्याग्रस्त है क्योंकि नीति जाति को ऐतिहासिक अवरोधक के रूप में मान्यता नहीं देती है और आरक्षण की आवश्यकता को निर्धारित नहीं करती है। इसी तरह, उन कई संरचनात्मक अवरोधकों की भी कोई स्वीकार्यता नहीं है जो इन समुदायों को कई स्रोतों से लगातार भेदभाव का सामना करने के कारण शैक्षणिक संस्थानों में सफल होने से रोकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करती है जिसे समान प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यूनतम के रूप में मान्यता दी गई है। शिक्षक नियुक्तियों में जाति समावेशन और सकारात्मक कार्रवाई की भी कोई मान्यता नहीं है।

लिंग आधारित पहचान की मान्यता-

एनईपी 2020 मानता है कि सभी समूहों और सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। सामुदायिक भागीदारी को शामिल करने और इन कमजोर छात्रों के लिए सुरक्षा जाल बनाने के लिए साइकिलिंग समूह बनाने के लिए साइकिलें देने और स्कूलों में पैदल चलने वाले समूह बनाने की योजनाएं लागू करने की योजना है। इसके अलावा, बालिकाओं की शिक्षा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पहचानते हुए, नई नीति महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बेहतर शैक्षिक स्थान बनाने के लिए 'लिंग-समावेश कोष' के निर्माण का प्रस्ताव करती है।

यह फंड राज्यों को सिस्टम बनाने के लिए उपलब्ध होगा जो इन छात्रों को शामिल करने में मदद करेगा। यह फंड स्वच्छता, सशर्त नकद हस्तांतरण, साइकिल वितरण योजनाओं आदि के प्रावधान शुरू करेगा। इसके अतिरिक्त, फंड राज्यों को प्रभावी समुदाय-

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन करने और बढ़ाने में भी सक्षम करेगा जो महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी में स्थानीय संदर्भ-विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करते हैं। इस संबंध में, नीति शिक्षा में भौगोलिक बाधाओं से निपटने के लिए छात्रों को बेहतर बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करती है।

इन नवीन विचारों और प्रस्तावों के बावजूद, एनईपी समावेशिता और बातचीत के मुख्य मुद्दों को संबोधित करने से बहुत दूर है जो मौजूदा स्कूली शिक्षा प्रणालियों में गायब हैं। ऐतिहासिक रूप से, स्कूली पाठ्यक्रम व्यक्तियों की यौन पहचान और अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव और कार्यस्थलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट भेदभाव पर चुप रहे हैं। इन व्यक्तियों को वह बुनियादी सम्मान नहीं दिया जाता जिसके नागरिक हकदार हैं, और भले ही अनुच्छेद 377 को न्यायिक रूप से समाप्त कर दिया गया हो, पहचान के इर्द-गिर्द बातचीत को अभी भी वर्जित माना जाता है और इन व्यक्तियों के खिलाफ अतीत में भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं।

उदाहरण के लिए, हालिया सीबीएसई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कक्षा 10 में 1,889,878 उम्मीदवार और कक्षा 12 में 1,206,893 उम्मीदवार थे। कक्षा 10 की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों में 7,88,195 लड़कियां थीं, 11,01,664 लड़के थे, केवल 19 ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे। कक्षा 12 के लिए, 5,22,819 लड़कियाँ थीं, 6,84,068 लड़के थे, और छह ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे। इस प्रकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में सबसे खराब प्रतिनिधित्व वाला अल्पसंख्यक है। संख्यात्मक

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

असमानता यह दिखाने के लिए पर्याप्त बड़ा संकेतक है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएँ अनुपातहीन रूप से अधिक हैं। नई नीति इस बात की रूपरेखा नहीं देती है कि वह इन छात्रों के लिए नामांकन बढ़ाने की योजना कैसे बनाती है, न ही यह उस भेदभाव को हल करने के तरीकों के बारे में बताती है जो इन व्यक्तियों को शैक्षिक संस्थानों के अंदर एक बार सामना करना पड़ता है जिसके कारण स्कूल छोड़ने की दर असंगत रूप से बढ़ जाती है।

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की पहचान-

यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानती है और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणालियों में शामिल करने में विश्वास करती है। यह मोटे तौर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के उद्देश्यों के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य सभी स्कूल परिसरों में विशेष शिक्षकों की भर्ती करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण अधिक समावेशी और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप हो। बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों को होम स्कूलिंग का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें कुशल होम स्कूलिंग शिक्षक प्रदान किए जाएंगे ताकि वे अभी भी सीख सकें और सर्वोत्तम शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, शिक्षकों को बच्चों में सीखने की अक्षमताओं की शुरुआती पहचान करने और सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षा में सफल होने में मदद करने और उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन की न्यायसंगत प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख तैयार किया जाएगा।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा के लिए वैकल्पिक मॉडल प्रस्तावित हैं। हालाँकि, एनईपी इस मोर्चे पर अति महत्वाकांक्षी और काल्पनिक प्रतीत होती है। यह इस तथ्य को पहचानने में विफल है कि न केवल अधिकांश शिक्षक ऐसे विशेष कार्यों के लिए खराब प्रशिक्षित हैं, बल्कि यह इस बात पर भी ध्यान देने में विफल है कि भारत के अधिकांश स्कूलों में कर्मचारियों की भारी कमी है। नीति यह भी स्पष्ट या स्पष्ट नहीं करती है कि यह वैकल्पिक होम स्कूलिंग तंत्र बनाने की योजना कैसे बनाती है जो व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। उदाहरण के लिए, दिल्ली बाल अधिकार आयोग द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन में, लगभग 60% स्कूलों ने शून्य विकलांग छात्रों की सूचना दी, और अन्य 28 प्रतिशत ने 1 प्रतिशत से कम की सूचना दी। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकलांग लोगों को बिना विकलांग व्यक्तियों की तुलना में प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिणामों का अनुभव करना पड़ता है।

नई नीति इस बात का रोडमैप निर्दिष्ट करने में विफल है कि यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा इन व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाई जाए। इसमें यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चे आज के भारतीय स्कूलों में संचालित होने वाले अत्यंत प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद को अलग महसूस न करें।

विशेष शैक्षिक क्षेत्रों का निर्माण-

एनईपी की प्रमुख सिफारिशों में से एक सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों और उन आकांक्षी जिलों में विशेष शैक्षिक क्षेत्र

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

(एसईजेड) स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के दूर-दराज के स्थानों में शिक्षा का प्रसार करना है। यह इन पिछड़े क्षेत्रों को बदलने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को पंप करके और केंद्र और राज्यों की कई योजनाओं और कार्यक्रमों को संरेखित करके किया जाएगा।

हालांकि यह विचार नया है और देश के दुर्गम क्षेत्रों (जैसे कि पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले शहरी यहूदी बस्ती) में शैक्षिक पहुंच को बदलने का वादा करता है, नीति में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि इन क्षेत्रों के लिए मानदंड क्या होंगे और उन्हें शहरी और ग्रामीण परिदृश्य में कैसे अलग किया जाएगा। नीति में इस बात का कोई स्पष्ट संकेतक नहीं है कि निर्धारण कारक क्या होंगे।

एनईपी 2020 का निष्कर्ष और परिणाम-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, देश में आईआईटी और आईआईएम के बराबर बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन्हें बहु-विषयक शैक्षणिक शुरुआत के लिए स्थापित किया जाना तय है। मान्यता और विनियमन नियमों की एक ही सूची का उपयोग सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक निकायों दोनों के मार्गदर्शन के लिए किया जाएगा। कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से संबद्धता और स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2030 तक शिक्षण के व्यवसाय में शामिल होने के लिए कम से कम चार साल की बीएड डिग्री होना अनिवार्य होगा। छात्रों को भविष्य की महामारी स्थितियों के लिए तैयार करने के लिए, ऑनलाइन शैक्षणिक को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

सन्दर्भ सूची-

नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020)। "न्यू एजुकेशन पालिसी 2020 हाइलाइट्स : स्कूल एंड हायर एजुकेशन टू सी मेजर चेंजेस " ।

जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020)। "द हिंदू एक्स्प्लैन्स | व्हाट हैज द नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 प्रपोज्ड?" द हिन्दू. आईएसएसएन 0971-751एक्स.

विश्नोई, अनुभूति (31 जुलाई 2020)। "नो स्विच इन इंस्ट्रक्शन मीडियम फ्रॉम इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेजेज विथ एनईपी 20:एचआरडी"। 31 जुलाई 2020.

गोहेन, मानश प्रतिम (31 जुलाई 2020)। "एनईपी लैंग्वेज पालिसी गाइडलाइन: गवर्नमेंट"।

चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020)। "एक्स्प्लैंड: रीडिंग न्यू एजुकेशन पालिसी 2020 " । इंडियन एक्सप्रेस. 2 अगस्त 2020.

चतुर्वेदी, अमित (30 जुलाई 2020)। "ट्रांसफोरमेटिव : लीडर्स, एकेडेमीसियन वेलकम नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 ". हिंदुस्तान टाइम्स. 30 जुलाई 2020.

"स्टेट एजुकेशन बोड्र्स टू बी रेगुलेटेड बाय नेशनल बॉडी: ड्राफ्ट एनईपी". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. 21 नवंबर 2019.

जेबराज, प्रिसिला; हेब्बार, निस्तुला (31 जुलाई 2020)। रिगरस कंसल्टेशंस डन बिफोर फ्रेमिंग न्यू एजुकेशन पालिसी सेज रमेश पोखरियाल निशंक " । द हिन्दू. आईएसएसएन 0971-751एक्स. 2 अगस्त 2020.

रोहतगी, अनुभा, एड. (7 अगस्त 2020). "हाइलाइट्स: एनईपी विल प्ले रोल इन रेड्युसिंग गैप बिटवीन रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया : पीएम मोदी".

पंडित, अंबिका (30 जुलाई 2020). "जेंडर इन्क्लूजन फण्ड, स्पेशल एजुकेशन जोंस इन पालिसी "। द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, 31 जुलाई 2020.

बराल, मैत्री, एड. (30 जुलाई 2020), "एनईपी 2020: न्यू एजुकेशन पालिसी मूट्स फोरमेशन ऑफ़ टेकनॉलिजिस फोरम". एनडीटीवी, 31 जुलाई 2020.

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language